इकाई 29 प्रसार और प्रादेशिक असंतुलन

इकाई की रूपरेखा

29.0 उद्देश्य
29.1 प्रस्तावना
29.2 सन्तुलित प्रादेशिक विकास की अवधारणा और क्षेत्र
29.3 भारत में प्रादेशिक विषमता
  29.3.1 अन्तरराज्यीय (राज्यों के मध्य की) विषमताएँ
  29.3.2 अन्तर्राज्यीय (राज्यांतरिक) विषमताएँ
29.4 प्रादेशिक विषमताओं के कारण
29.5 प्रादेशिक विषमताएँ और पंचवर्षीय योजनाएँ
29.6 प्रादेशिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय
  29.6.1 केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का अंतरण
  29.6.2 उत्कृष्ट कार्यक्रमों को प्राथमिकता
  29.6.3 सुविधाओं का प्रावधान
  29.6.4 ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विस्तार के लिए कार्यक्रम
  29.6.5 विद्युत संसाधन
  29.6.6 पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीम
29.7 प्रमुख सीमाएँ
29.8 संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए सुझाव
  29.8.1 आधारभूत संरचना नीति
  29.8.2 राज्य स्तर पर नियोजन
  29.8.3 वित्तीय संसाधनों का अंतरण (न्यागमन)
29.9 सारांश
29.10 शब्दावली
29.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ
29.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

29.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- संतुलित प्रादेशिक विकास की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे;
- संतुलित प्रादेशिक विकास की आवश्यकता को समझ सकेंगे;
- देश के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर और विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी विकास के वितरण का महत्त्व समझ सकेंगे;
- प्रादेशिक विषमताओं के कारणों की पहचान कर सकेंगे;
- प्रादेशिक असंतुलन को कम करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उठाए गए कदमों को समझ सकेंगे;
- इन कदमों में आई मुख्य बाधाओं को भी समझ सकेंगे; और
- संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए सुझाव दे सकेंगे।

29.1 प्रस्तावना

प्रत्येक देश में फैले हुए औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। विस्तृत भूभाग वाले देशों में विशेष रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि कुछ प्रदेशों में उद्योगों का केन्द्रीकरण विभिन्न प्रदेशों की अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए हानिप्रद हो सकता है। इससे अनुकूलतम औद्योगिक कार्यकलाप की उपलब्धि भी नहीं हो सकती है। अर्द्धविकसित प्रदेशों से औद्योगिक रूप से विस्तृत क्षेत्रों में कच्चे मालों के आयात पर भारी परिवहन और अन्य लागत आ सकती है। कुछ प्रदेशों में उद्योगों के केन्द्रीकरण से रोज़गार के अवसरों का भी समान वितरण नहीं होता है। इसका परिणाम अर्द्धविकसित क्षेत्रों के लिए अहितकर और विकसित क्षेत्रों के लाभ के लिए नैसर्गिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक दोहन हो सकता है। यह कुछ सामाजिक उद्देश्यों, जैसे देश में उद्योग और कृषि के समान विकास, की प्राप्ति के मार्ग में भी बाधक हो सकता है।

इसलिए, सभी सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में संतुलित प्रादेशिक विकास पर जोर दिया जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के आरम्भ के समय प्रमुख उद्योग-धंधे अधिकांशतया महानगरों तथा इसके आसपास केन्द्रित थे।

नियोजनकर्ताओं ने संतुलित प्रादेशिक विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया। जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ इस समस्या का उल्लेख ही किया गया, वहीं बाद की योजनाओं में संतुलित प्रादेशिक विकास के विचार को दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में धारण किया गया तथा इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का अनुसरण किया गया।

29.2 संतुलित प्रादेशिक विकास की अवधारणा और उसका क्षेत्र

देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास, आर्थिक प्रगति के लाभों का कम विकसित प्रदेशों में विस्तार और उद्योग का बड़े पैमाने पर प्रसार नियोजित विकास के मुख्य लक्ष्य रहे हैं। एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं में इन लक्ष्यों को बड़े पैमाने पर प्राप्त करने का आह्वान किया गया है।

अर्थव्यवस्था का विस्तार एवं और अधिक तीव्र विकास राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास में बेहतर संतुलन स्थापित करने की क्षमता को क्रमिक रूप से बढ़ाता है। इस तरह का संतुलन स्थापित करने के प्रयास में, विशेषरूप से आर्थिक विकास के प्रारम्भिक चरणों में, कतिपय अन्तर्निहित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चूँकि संसाधन सीमित हैं इसलिए प्राय: उन्हें अर्थव्यवस्था के उन बिन्दुओं पर केन्द्रित करना लाभप्रद होता है जहाँ इसके प्रतिफल के अनुकूल होने की संभावना रहती है।

विकास की प्रक्रिया जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, अधिक विस्तृत क्षेत्र में निवेश किया जाता है तथा अधिक बिन्दुओं पर संसाधनों को लगाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक लोगों और क्षेत्रों तक लाभ पहुँचता है। स्वयं विकास के लिए भी यही अनुकूल है कि राष्ट्रीय आय में अधिकतम वृद्धि प्राप्त की जाए तथा और निवेश के लिए संसाधन प्राप्त हों।

यह प्रक्रिया संचयी है तथा प्रत्येक चरण अगले चरण की रूपरेखा निर्धारित करता है। कुछ क्षेत्रों में, जैसे उद्योग में, गहन और स्थानीयकृत विकास अनिवार्य हो सकता है। इसके साथ-साथ अन्य क्षेत्रों, जैसे कृषि, लघु उद्योगों, विद्युत, संचार और समाज सेवा में अधिक फैला हुआ विकास लक्ष्य होना चाहिए।

उद्योग के साथ समान रूप से, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बंधे हुए निवेश से विकास के लिए असंख्य संभावित केन्द्रों के सृजन में सहायता करता है। एक बार अगर राष्ट्रीय आय और विभिन्न क्षेत्रों में विकास एक न्यूनतम स्तर तक पहुँच जाता है, तो पूरी अर्थव्यवस्था की प्रगति को प्रभावित किए बिना अल्प विकसित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास के लिए अनेक दिशाओं में संसाधन उपलब्ध कराना संभव हो जाता है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न एक विशाल देश, दीर्घकालीन योजना के परिप्रेक्ष्य में इसके विकास के प्रत्येक चरण को देखते हुए, के पास न सिर्फ उच्च और धारणीय वृद्धि दर प्राप्त करने अपितु, इसके कम विकसित प्रदेशों को अन्य प्रदेशों के बराबरी में लाने का भी साधन है।

इस प्रकार, दो लक्ष्य-राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रदेशों का अधिक संतुलित विकास-एक दूसरे से अधिक संबंधित हैं, और सोपान-दर-सोपान ऐसी दशा का सृजन करना संभव हो जाता है जिसमें राष्ट्रीय प्रदत्त संसाधनों, कौशल तथा पूँजी के रूप में संसाधनों का प्रत्येक प्रदेश में पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। कभी-कभी विकास में पिछड़ने की भावना क्षेत्र में समग्र विकास की धीमी दर के कारण उतनी नहीं होती जितनी कि कृषि, सिंचाई, विद्युत अथवा उद्योग अथवा रोज़गार जैसे विशेष क्षेत्रों में अपर्याप्त अथवा मंथर गति से विकास के कारण होती है। प्रत्येक प्रदेश में समस्या की प्रकृति और विशेष क्षेत्रों में तीव्र विकास में विधनों के बारे में सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए तथा त्वरित विकास के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिए। यह मूल उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक प्रदेश के संसाधनों का यथासंभव पूरा-पूरा उपयोग किया जाए ताकि यह राष्ट्रीय निधि में अपना सर्वोत्तम योगदान कर सके और राष्ट्रीय विकास से उपार्जित लाभों से अपना उपयुक्त हिस्सा ले सके।

29.3 भारत में प्रादेशिक विषमता

यद्यपि कि भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य संतुलित प्रादेशिक विकास स्वीकार किया गया है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक भारत में इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिकांशत: विफलता ही हाथ लगी है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद भी हुआ जबकि राष्ट्रीय राज्य में निरपवाद रूप से आय में वृद्धि हुई है, साक्षरता बढ़ी है, निर्धनता अनुपात में कमी आई है तथा शिशु मृत्यु दर में ह्रास हुआ है। प्रादेशिक असंतुलन अन्तर-राज्यीय विषमता और अन्तर्राष्ट्रीय (राज्यांतरिक) विषमता दोनों ही रूपों में देखने को मिलता है।

29.3.1 अन्तरराज्यीय (राज्यों के मध्य की) विषमताएँ

देश के अलग-अलग राज्यों के बीच विकास के स्तर में भारी विषमता दिखाई पड़ती है। दि सेण्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमकी (सी एम आई ई) ने विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जिला आँकड़ों का उपयोग करके आर्थिक विकास दर्शाने के लिए एक समुचित सूचकांक तैयार किया है। सूचकांकों की गणना चयनित नौ आधार-संघटक संकेतकों से की गई है :

- कृषि से दो (18 प्रमुख फसलों के लिए प्रति व्यक्ति निर्गत का मूल्य और कृषि के लिए प्रति बैंक ऋण)
- खनन् और विनिर्माण से तीन (प्रति एक लाख जनसंख्या में खान और फैक्टरी कर्मकारों की संख्या, प्रति एक लाख जनसंख्या में विनिर्माण कर्मकारों के परिवारों की संख्या और विनिर्माण क्षेत्र को प्रति व्यक्ति बैंक ऋण)
- सेवा क्षेत्र से चार (प्रति व्यक्ति बैंक जमा, सेवा क्षेत्र को प्रति व्यक्ति बैंक ऋण, साक्षरता और नगरीकरण का प्रतिशत)।

अखिल भारतीय औसत 100 माना गया है। इस तरह से विभिन्न राज्यों के लिए तैयार सूचकांक की लम्बी शृंखला है अर्थात् यह संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए 1,075 है तो मणिपुर राज्य के लिए 10 है।

अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परिणाम नीचे तालिका 29.1 में संक्षेप में दिया गया हे।

तालिका 29.1 : भारतीय राज्यों में आर्थिक विकास में अंतर, वर्ष 2001

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (औसत से ऊपर)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (औसत से नीचे)
गोवा	असम
गुजरात	बिहार
हरियाणा	दादर और नगर हवेली
कर्नाटक	हिमाचल प्रदेश
केरल	लक्षद्वीप
महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश
पंजाब	मणिपुर
तमिलनाडु	मेघालय
पश्चिम बंगाल	मिजोरम
चंडीगढ़	नागालैंड
पाण्डिचेरी	उड़ीसा
दिल्ली	राजस्थान
आन्ध्र प्रदेश	सिक्किम
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	त्रिपुरा
अरुणाचल प्रदेश	उत्तर प्रदेश

स्रोत : सी.एम.आई.ई. : 2001

पैटर्न स्पष्ट है : सिन्धु-गंगा मैदान में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों और आदिवासी बहुसंख्या वाले क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और उड़ीसा को सामान्य तौर पर कम विकसित राज्य कहा जाता है। जिन राज्यों में जनसंख्या कम है तथा कम आदिवासी इलाका है और शहरी संघ राज्य क्षेत्र अधिक विकसित हैं जैसे आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान?

औद्योगिक सूचक: औद्योगिक सूचकों का उपयोग करके विषमताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। हाल के अध्ययन के अनुसार, पूरे देश की कुल फैक्टरियों का 83 प्रतिशत 10 राज्यों में है। विनिर्माण द्वारा प्रतिव्यक्ति सर्वोच्च मूल्य संवर्द्धन (वी ए एम पी) महाराष्ट्र और गुजरात में रिकार्ड किया गया है। दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश हैं जहाँ वी ए एम पी स्तर कम है और यह गुजरात और महाराष्ट्र के स्तर का चौथाई अथवा पाँचवे हिस्से के बराबर है। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बीच में हैं। विनिर्माण में कर्मकारों के समानुपात (पी डब्ल्यू एम) के मामले में भी स्थिति समान ही है। सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में पी डब्ल्यू एम 12 प्रतिशत अथवा अधिक रहा है। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में यह सिर्फ 5 से 7 प्रतिशत था।

यह स्पष्ट है कि बन्दरगाहों के निकट स्थित राज्यों ने अपने अन्तर्निहित लाभों जैसे कच्चे मालों और तैयार माल के परिवहन पर नहीं के बराबर खर्च होने के कारण तेज़ी से विकास किया है जबकि भूमि से घिरा प्रदेश अर्थात् बन्दरगाह विहीन राज्यों को माल ढुलाई पर भारी राशि खर्च करनी पड़ी और यह उनके विकास में बाधक बना।

तथापि, यहाँ यह भी जोड़ा जा सकता है कि विगत साढ़े तीन दशकों से औद्योगिक विषमताओं में कमी आने लगी है। यह प्राथमिक और सेवा क्षेत्रों में, और इन दोनों में भी प्राथमिक क्षेत्र में अधिक, बढ़ती हुई विषमता के बिल्कुल विपरीत है।

आधारभूत संरचना सूचक: विभिन्न राज्यों के बीच भारी असमानता आधारभूत संरचना सूचक से भी प्रदर्शित होता है। ये सी एम आई ई इंडैक्स ऑफ इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेंट (आधारभूत संरचना विकास की सी एम आई ई सूचकांक) द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसमें सम्पूर्ण भारत को 100 का आधार दिया गया है। यह सूचकांक अत्यन्त ही विविधतापूर्ण है जो पंजाब में 211 से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 32 तक है। हरियाणा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गोवा 100 से अधिक सूचकांक वाले राज्य हैं। दूसरी ओर आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा हैं जिनका सूचकांक 100 से नीचे है।

नीतिगत जटिलताएँ

उपर्युक्त समीक्षा से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विकास के स्तरों में अन्तरराज्यीय असमानता बनी हुई है तथा कुछ मामलों में इसमें वृद्धि भी हुई है।

इन अन्तरराज्यीय विषमताओं की नीतिगत जटिलताओं को संक्षेप में निम्नवत् रूप में रखा जा सकता है:

i) चूँकि निर्धनता और बेरोज़गारी भौगोलिक दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में केन्द्रित हैं, इन क्षेत्रों में सापेक्षिक रूप से अधिक निवेश संसाधनों के प्रवाह के लिए तंत्र होना चाहिए। यहाँ तक कि कृषि संबंधी विकास भी, जो निर्धनता और बेरोज़गारी को घटा सकता है, कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रहा है; अतएव निर्धन क्षेत्रों में कृषि संबंधी विकास तेज करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

ii) कई निर्धन क्षेत्रों में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका पूरी तरह से सर्वेक्षण तथा दोहन नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के पूरे-पूरे दोहन में जो बाधाएँ हैं उन्हें दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किए जाने की आवश्यकता है।

iii) कुछ पूँजी-गहन उपक्रमों में संकेन्द्रित निवेश स्वयं अल्प विकसित प्रदेशों में व्याप्त निर्धनता को कम नहीं कर सकता। इन प्रदेशों के लिए अधिक संतुलित निवेश पैकेज की आवश्यकता है।

iv) एक निवेश पैकेज में और चाहे जो कुछ भी हो, इसमें जल-ऊर्जा, परिवहन आधारभूत संरचना तथा साक्षरता एवं कौशल के स्तरों में उन्नयन अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए।

v) पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक या अधिक शहरी औद्योगिक इलाका के अस्तित्व के कारण उनकी औसत आय अधिक हो सकती है, इसके बावजूद भी राज्य के अन्तवर्ती क्षेत्रों में अत्यधिक निर्धनता हो सकती है तथा यह है भी। इससे पता चलता है कि इस देश में विकास का समीप के क्षेत्रों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।

29.3.2 अन्तःराज्यीय (राज्यांतरिक) विषमताएँ

केवल विभिन्न राज्यों के बीच ही विषमता का अस्तित्व नहीं है अपितु यह विषमता एक राज्य के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के बीच भी देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए, आन्ध्र प्रदेश में तीन विभिन्न प्रदेश तटवर्ती आन्ध्र, तेलंगाना और रायलसीमा हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास के अलग-अलग चरणों में हैं। इसी प्रकार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार (अब दक्षिण बिहार का गठन एक पृथक राज्य झारखण्ड के रूप में हो चुका है) विकास के अलग-अलग चरणों में हैं तथा उनकी समस्याएँ भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उत्तर प्रदेश में अलग-अलग समस्याओं तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के भिन्न-भिन्न स्तर वाले कम से कम चार प्रदेश हैं। अन्य राज्यों जैसे गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से पिछड़े प्रदेश हैं।

इस प्रकार की विषमताओं के आकलन के लिए योजना आयोग ने पिछड़े जिलों की पहचान के लिए परीक्षण निर्धारित किया है। ये निम्नलिखित हैं :

i) खाद्यान्न/व्यावसायिक फसल का प्रतिव्यक्ति उत्पादन,

ii) कुल जनसंख्या में कृषि मज़दूर का अनुपात,

iii) प्रति व्यक्ति औद्योगिक निर्गत

iv) प्रति एक लाख जनसंख्या पर द्वितीयक और सेवा कार्यकलापों, में नियोजित व्यक्तियों की संख्या,

v) प्रति एक लाख जनसंख्या पर फैक्टरी कर्मचारियों की संख्या,

vi) विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत, और

vii) जनसंख्या के अनुपात में पक्की सड़क की लम्बाई अथवा रेलवे माइलेज

इन मानदंडों का उपयोग करके योजना आयोग ने प्रत्येक राज्य में सभी जिलों के लिए संमिश्र भारित सूचकांक तैयार किया है। 246 जिलों को पूर्ण रूप से पिछड़ा जिला चिन्हित किया गया है, जिसमें से 118 जिलों की उद्योगरहित जिला के रूप में पहचान की गई है।

पिछड़े जिलों का राज्य-वार वितरण तालिका 29.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 29-2 पिछड़े जिलों का वितरण

क्र.सं.	राज्य	पिछड़े जिले	क्र.सं.	राज्य	पिछड़े जिले
1.	आन्ध्र प्रदेश	14	16.	हिमाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य
2.	बिहार	18	17.	जम्मू एवं कश्मीर	सम्पूर्ण राज्य
3.	गुजरात	11	18.	मणिपुर	सम्पूर्ण राज्य
4.	हरियाणा	04	19.	मेघालय	सम्पूर्ण राज्य
5.	केरल	07	20.	नागालैंड	सम्पूर्ण राज्य
6.	कर्नाटक	11	21.	सिक्किम	सम्पूर्ण राज्य
7.	मध्य प्रदेश	36	22.	त्रिपुरा	सम्पूर्ण राज्य
8.	महाराष्ट्र	14	23.	अरुणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण राज्य

9.	उड़ीसा	08	24.	गोवा	सम्पूर्ण राज्य
10.	पंजाब	05	25.	मिजोरम	सम्पूर्ण राज्य
11.	राजस्थान	16	26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	सम्पूर्ण राज्य
12.	तमिलनाडु	09	27.	दादर और नगर हवेली	सम्पूर्ण राज्य
13.	उत्तर प्रदेश	41	28.	दमन और दीव	सम्पूर्ण राज्य
14.	पश्चिम बंगाल	13	29.	पाण्डिचेरी	सम्पूर्ण राज्य
15.	असम	सम्पूर्ण राज्य	30.	लक्षद्वीप	सम्पूर्ण राज्य

पिछड़े जिलों के भौगोलिक वितरण पर दृष्टि डालने से निम्नलिखित दो तथ्य प्रकट होते हैं :

i) अधिक विकसित राज्य; राज्य में विकास का अधिक असमान पैटर्न

ii) सापेक्षिक रूप से विकसित अथवा अर्द्धविकसित जिलों की बीच में पड़ने वाली राज्य सीमाओं की उपेक्षा करते हुए स्थानिक केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति।

बोध प्रश्न 1

1) संतुलित प्रादेशिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है?

.....

.....

.....

.....

.....

2) संतुलित प्रादेशिक विकास की आवश्यकता क्या है, बताइए।

.....

.....

.....

.....

.....

3) क्या आप समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास ने संतुलित प्रादेशिक विकास को बढ़ावा दिया है?

.....

.....

.....

.....

.....

4) भारत में पिछड़े जिलों की पहचान के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाता है?

.....

.....

.....

.....

.....

29.4 प्रादेशिक विषमताओं के कारण

भारत में प्रादेशिक विषमता औपनिवेशिक शासन काल से ही रही है। उसी समय से वे क्षेत्र जो तटवर्ती इलाकों से दूर थे निकटवर्ती तटीय इलाकों की तुलना में पिछड़ते गए, हालाँकि विकास के स्तर में भिन्नता के कुछ और कारक भी थे जिन्हें सिर्फ औपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं माना जा सकता है।

संक्षेप में, ये महत्त्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं:

i) कोलिन क्लार्क के आर्थिक क्षेत्र सिद्धान्त (इकनॉमिक सेक्टर पेरिस) पर प्रति व्यक्ति आय में विषमता की व्याख्या की जा सकती है। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि उन क्षेत्रों में आय का स्तर उच्चतर है जहाँ कार्यशील जनसंख्या का बड़ा अनुपात विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नियोजित है। उन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के अधिक होने की प्रवृत्ति होती है जहाँ जनसंख्या का बड़ा अनुपात सेवा क्षेत्र में नियोजित है।

ii) विगत में औद्योगिक विकास का अवस्थिति पैटर्न रेल मार्ग के निर्माण के पैटर्न से प्रभावित रहा था। अतएव, औद्योगिक अवस्थिति के इन केन्द्रों ने, गुन्नार मिर्डल के सिद्धान्त के अनुरूप, अपनी ओर समुच्चयन की मितव्ययिता के कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण को आकृष्ट किया है।

iii) एक संबंधित ऐतिहासिक कारक आधारभूत संरचना का विकास रहा है। अधिक विकसित प्रदेशों में उनकी प्रगति का कारण उनकी अन्तर्निहित आधारभूत संरचना थी जिसका विकास देशी रजवाड़ों के समय में ही हुआ था। दूसरे प्रदेशों में, देशी रियासतों ने विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया।

iv) नई कृषि प्रौद्योगिकी के आरम्भ से प्रादेशिक विषमताएँ बढ़ीं। नई प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा कृषि विकास की नई प्रौद्योगिकी को सफल बनाने वाले कारकों में अंतर रहा है।

v) मियादी ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्रचालन ने भी सापेक्षिक रूप से अधिक विकसित राज्यों में निवेश के केन्द्रीकरण के प्रति विशेष प्रवृत्ति को भी दर्शाया है।

vi) वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा रियायती ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राथमिकता के आधार पर ऋण और पुनर्वित्त सुविधाओं से समृद्ध राज्यों को रियायती दरों पर ज्यादा निवेश योग्य निधियाँ प्राप्त करने में सहायता मिली है।

vii) देश में विभिन्न राज्यों के बीच शैक्षिक और प्रशिक्षण सुविधाओं, विशेषकर तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था में भारी प्रादेशिक असंतुलन और विषमता है। उदाहरण के लिए, हाल ही की एक रिपोर्ट से इस तथ्य का पता चलता है कि चार दक्षिणी राज्यों आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्

और तमिलनाडु में देश की कुल 1,818 तकनीकी संस्थाओं में से 1.056 संस्थाएँ हैं। उत्तरी और पूर्वी प्रदेशों में जनसंख्या का अधिक घनत्व होने के कारण पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों की तुलना में इन राज्यों में प्रति छात्र भर्ती तथा औसत जनसंख्या का अनुपात दस गुणा से अधिक था।

viii) देश में लोक-वित्त की व्यवस्था के संचालन ने भी अन्तरराज्यीय विषमता को न सिर्फ जन्म दिया अपितु इसे बढ़ाया भी है।

क) कम आय वाले राज्यों में अधिक आय वाले राज्यों का तुलना में सार्वजनिक निवेश का स्तर, आधारभूत संरचना के विकास और प्रशासनिक सेवाओं का मानक कम होता है, इस प्रकार विषमता बढ़ती जाती है।

ख) बिक्री कर लगाने की प्रचलित व्यवस्था के कारण समृद्ध राज्य कर संबंधी अपने दायित्व का महत्त्वपूर्ण भाग गरीब राज्यों के निवासियों पर टाल देते हैं।

ग) केन्द्र सरकार से राज्यों को रियायती दर पर ऋण दिए जाने के कारण अवरोही अन्तर-सरकार अन्तरण हुआ है।

29.5 प्रादेशिक विषमताएँ और पंचवर्षीय योजनाएँ

भारत में आर्थिक नियोजन का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य प्रादेशिक विषमताओं को कम करके पिछड़े क्षेत्रों का तीव्र विकास करना है। एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं ने इस समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है तथा समानतावाद एवं सामाजिक न्याय के आदर्शों को व्यावहारिक रूप देने के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों की विकास संभावनाओं के दोहन पर जोर दिया गया। पुनः जनसंख्या के निर्धनतम लोगों, जिनमें से अधिकांश पिछड़े क्षेत्रों में हैं; के जीवन स्तर को ऊपर उठाने पर दिए गए बल के दृष्टिगत, इस बात पर अधिक जोर दिया गया है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रणनीति इस तरह से बनाई जाये कि सापेक्षिक रूप से अलाभ वाले क्षेत्र और जनसंख्या धीरे-धीरे विकास प्रक्रिया की मुख्यधारा से जुड़ जाएँ।

29.6 प्रादेशिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय

प्रादेशिक विषमताओं का उन्मूलन अथवा उनको कम करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है :

29.6.1 केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का अंतरण

केन्द्र से राज्यों को संसाधनों के अंतरण में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

संसाधनों का अंतरण निम्नलिखित के माध्यम से होता है:

क) योजना आयोग द्वारा मुख्य रूप से योजना अंतरण के रूप में, और

ख) वित्त आयोग द्वारा गैर-योजना अंतरण के रूप में।

योजना आयोग द्वारा, सरकार के संगत विभागों के सहयोग से, नियोजन प्रक्रिया में केन्द्रीय परियोजनाओं और केन्द्रीय द्वारा प्रायोजित स्कीमों की अवस्थिति निर्धारित की जाती है।

इस विषय पर हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि निर्धन राज्यों को उनके बराबर के समृद्ध राज्यों की तुलना में विकास के लिए समानुपातिक दृष्टि से अधिक निधियाँ दी जा रही हैं।

29.6.2 उत्कृष्ट कार्यक्रमों को प्राथमिकता

हमारी विकास योजनाओं में उन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है जिनका यथासंभव न्यूनतम समय में पूरे क्षेत्र में प्रसार होता है। कृषि, सामुदायिक विकास, सिंचाई और विद्युत, परिवहन और संचार तथा सामाजिक सेवाओं संबंधी कार्यक्रम सबसे अधिक व्यापक होते हैं तथा इनका उद्देश्य सभी प्रदेशों में लोगों को बुनियादी सुविधाएँ तथा सेवाएँ प्रदान करना होता है। चूँकि इन कार्यक्रमों को राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित किया गया है, यह मुख्य रूप से राज्य योजनाओं को दिए गए स्वरूप और योजना अवधि के दौरान उनमें हुए परिवर्तन से विकास का लाभ देश के प्रत्येक भाग में पहुँचता है।

29.6.3 सुविधाओं का प्रावधान

उन क्षेत्रों, जो औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को विशेष सुविधाएँ देने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अनेक राज्यों की योजनाओं में नदी घाटी परियोजनाएँ सबसे महत्त्वपूर्ण हैं और बहु उद्देशीय परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया है। ये और अन्य परियोजनाएँ देश में विस्तृत प्रदेशों, जिसमें से कुछ में अभाव है अथवा बेरोज़गारी है अथवा अन्यथा कम विकसित हैं, के विकास के लिए अनिवार्य हैं। कृषि उत्पादन और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य स्कीमों का कार्यान्वयन दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुँचाता है।

29.6.4 ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के विस्तार के लिए कार्यक्रम

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग पूरे देश में फैले हुए हैं तथा केन्द्र द्वारा विभिन्न रूपों में उपलब्ध कराई गई सहायता, इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों के अनुरूप उपलब्ध कराई जाती है। सभी राज्यों में औद्योगिक सम्पदा की स्थापना की गई है और छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधिक से अधिक स्थापना की जा रही है।

29.6.5 विद्युत संसाधन

जहाँ तक बृहत् उद्योगों का संबंध है, आर्थिक और तकनीकी विचार सदैव ही महत्त्वपूर्ण हैं और व्यवहार में इसमें सिर्फ थोड़ा बहुत फेर-बदल ही संभव होता है। किसी विशेष क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं की स्थापना से संबंधित कई अलाभ की स्थिति हो सकती है किंतु यह सर्वदा ही बुनियादी समस्या नहीं होती अथवा ऐसा नहीं होता है जिसका समाधान न किया जा सके क्योंकि कई बार वे समस्याएँ बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के अभाव से संबंधित नहीं होती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की अवस्थिति में सापेक्षिक रूप से अधिक पिछड़े क्षेत्रों के दावों का ध्यान जहाँ कहीं भी अनिवार्य तकनीकी तथा आर्थिक मानदंडों को छोड़े बिना रखना संभव रहा, रखा गया है। अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं की अवस्थिति विशेषज्ञ अध्ययन और आर्थिक विचारों के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। किंतु चूँकि वे अभी तक औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित हैं, इसलिए उन क्षेत्रों का विकास होगा।

बुनियादी पूँजी और उत्पादक वस्तु उद्योगों के लिए स्थानों के चयन में जहाँ कच्चे मालों से निकटता एवं दूसरे आर्थिक विचार महत्त्वपूर्ण रहे हैं यह महसूस किया गया है कि विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं तथा प्रसंस्करण उद्योगों में विकास के प्रादेशिक पैटर्न का संवर्धन करना संभव है।

कुछ हद तक, नई प्रक्रियाओं के विकास तथा कच्चे मालों के अभिनव उपयोगों ने उद्योगों के प्रसार में मदद की है। ऐसे विकास को प्रोत्साहित करने में, प्रादेशिक वितरण और उत्पादन संबंधी आर्थिक विचारों के बीच सन्तुलन बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु ध्यान रखना चाहिए।

विकास के इन सामान्य अथवा समग्र कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष क्षेत्रों जिनकी पहचान पिछड़े क्षेत्र के रूप में की गई है, के लिए विशेष स्कीमें बनाई गई हैं।

29.6.6 पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए स्कीम

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए वर्तमान नीति में कुछ विशेष स्कीम सम्मिलित हैं जिसके अन्तर्गत सामान्य क्षेत्रगत कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियों के अतिरिक्त योजना निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

विशेष स्कीमों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है:

i) कुछ खास विशेषताओं वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कार्यक्रम (मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजनाएँ तथा उप-योजना, जनजातीय क्षेत्र उप-योजना ओर जनजातीय विकास एजेन्सी परियोजनाएँ)

ii) लक्षित वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करने वाले कार्यक्रम (लघु कृषक विकास एजेन्सियाँ और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना)

iii) पिछड़े क्षेत्रों में विशेष कार्यकलापों के लिए रियायतें और प्रोत्साहन देने वाली स्कीमें (246 पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों के लिए वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त, कर राहत, निवेश, राजसहायता, परिवहन राजसहायता और कच्चे मालों के आवंटन तथा मशीनों के किराया खरीद में प्राथमिकता, और पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा विद्युत के विस्तार के लिए शिथिल व्यवहार्यता एवं ऋण पुनर्भुगतान शर्त।

बोध प्रश्न 2

1) भारत में प्रादेशिक विषमताओं के तीन महत्त्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2) केन्द्र से राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण प्रादेशिक विषमताओं को कम करने में कैसे सहायक होता है?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण स्कीमों का उल्लेख कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

29.7 प्रमुख सीमाएँ

उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट है कि प्रादेशिक विषमताओं के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। किंतु इन उपायों की कतिपय सीमाएँ हैं। इन सीमाओं में कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

i) इन सभी स्कीमों की एक सबसे बड़ी कमी यह है कि क्षेत्र में इन स्कीमों की वास्तविक भौतिक प्रगति के बारे में बहुत ही कम प्रतिपुष्टि (प्रति सूचना) प्राप्त होती है। यह भावना बड़े पैमाने पर व्याप्त है कि अधिकांश योजनाएँ सिर्फ कागजी योजनाएँ हैं और इनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता नहीं है और धरातल पर तद्नुरूप वास्तविक कार्रवाई भी नहीं होती है। स्वंय नौकरशाही और/अथवा स्थानीय उच्च कुलीनतंत्र में विपुल निधियों के क्षरण की भी शंका की जाती है। इस तरह की भावना तब तक बनी रहेगी जब तक कि प्रत्येक जिला/ब्लॉक में सुदृढ़ परियोजना निर्माण ब्यूरो द्वारा पेशेवर ढंग से क्षेत्र योजना नहीं तैयार की जाती है तथा प्रगति की नियमित, व्यापक, और स्वतंत्र निगरानी/मूल्यांकन नहीं की जाती है।

ii) यद्यपि कि क्षेत्र विकास स्कीमों के लिए जुटाई गई निधि प्रकट तौर पर विशाल प्रतीत होती हैं, अधिक विकसित प्रदेशों की तुलना में कम विकसित क्षेत्रों में उपलब्ध प्रति व्यक्ति कुल विकासात्मक परिव्यय कम है। अतएव, निधियों के आवंटन की पूरी वर्तमान व्यवस्था पर पुन: विचार करने की आवश्यकता है।

iii) औद्योगिक और परिवहन सब्सिडियों (राज सहायता) के प्रभावों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। किंतु जो थोड़ा बहुत प्रमाण उपलब्ध है, उससे पता चलता है कि राज सहायता का आकर्षण प्रभाव केवल तभी होता है जब कि बुनियादी आधारभूत संरचना सुलभ हो।

iv) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से या तो आयकर रियायतों अथवा केन्द्रीय निवेश राज सहायता स्कीम और लाइसेन्स हेतु पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए मानदंडों में एकरूपता और स्थायित्व नहीं है। परिणामस्वरूप, पिछड़े क्षेत्रों के चयन की विद्यमान प्रक्रिया ने अखिल भारतीय परिपेक्ष्य में पिछड़े प्रदेशों और क्षेत्रों के विकास के संवर्द्धन की क्षमता को कम कर दिया है। इसके दो कारण हैं:

एक, चूँकि बड़ी संख्या में क्षेत्रों/जिलों का वर्गीकरण पिछड़े क्षेत्रों के रूप में किया गया था, इसलिए उपलब्ध प्रोत्साहनों और संसाधनों का अनेक प्रदेशों में अत्यन्त ही विरल वितरण हुआ है।

दो, एक राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की पहचान अखिल भारतीय औसत की अपेक्षा राज्य के औसत विकास सूचकांक के साथ चयनित विकास सूचकांकों की तुलना के आधार पर किया जाता है।

29.8 संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए सुझाव

संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए हम तीन उपाय समूहों का सुझाव दे सकते हैं ये निम्नलिखत हैं:

क) आधारभूत संरचना नीति

ख) राज्य स्तर पर नियोजन

ग) वित्तीय संसाधनों का अंतरण (न्यागमन)

29.8.1 आधारभूत संरचना नीति

संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता आधारभूत संरचना सुविधाओं (जैसे जलापूर्ति, क्रर्जा और परिवहन) का विस्तार है। आधारभूत संरचना सेवाओं की आवश्यकताओं के दोहरे चरित्र पर बल दिये जाने की आवश्यकता है। आधारभूत संरचना सेवाएँ उपभोग की मदों और उत्पादन एवं पूँजी निर्माण में आदान दोनों के रूप में आवश्यक हैं। अतएव, अन्य बातों के साथ-साथ उन तक पहुँच प्रत्येक क्षेत्र/समुदाय का बुनियादी अधिकार माना जाना चाहिए, विशेषकर इसलिए कि निर्धन देशों में राज्य को इनमें से अधिकांश सेवाएँ प्रदान करनी पड़ती हैं अथवा उनके लिए अत्यधिक राज सहायता (सब्सिडी) देना पड़ता है। इन सेवाओं को प्रदान करने के वैकल्पिक साधनों बीच चयन के लिए लागत लाभ विश्लेषण का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इसका उपयोग यह निर्णय करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए कि क्या कोई खास क्षेत्र/समुदाय को यह उपलब्ध ा कराया जाए अथवा इससे वंचित रखा जाए।

29.8.2 राज्य स्तर पर नियोजन

संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण पूवपिक्षा नियोजन तंत्र का विकेन्द्रीकरण है। इस बात पर सामान्यतया सहमति है कि भारत जैसे विशाल उप-महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था में अति-केन्द्रीकृत नियोजन निश्चित तौर पर अकुशल होती है। इस बात की आवश्यकता है कि संतुलित बहु-स्तरीय नियोजन का उद्‌भव होना चाहिए जिसे राज्य और ब्लॉक/जिला स्तरों पर कार्य करना चाहिए। कुछ अंतरों के साथ प्रत्येक स्तर के नियोजन की रूपरेखा और पद्धति में जरूर कुछ सामान्य विशेषताएँ होती हैं। इनमें से, सबसे महत्त्वपूर्ण की पहचान निम्नवत् की जा सकती है:

एक, विभिन्न स्तरों पर कार्यों का अनुकूलतम विभाजन होना चाहिए। हम विभिन्न कार्यों को तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं:

i) कुछ क्षेत्रों की नियोजन केन्द्र से राज्यों और निचले स्तरों तक पूर्णतया हस्तांतरित कर देना चाहिए; इन क्षेत्रों में हम कृषि, भूमि विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, आवास, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा, वयस्क शिक्षा इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं।

ii) अन्य क्षेत्रों में स्कीम की नियोजन में स्कीम के भौगोलिक विस्तार के आकार के अनुसार सभी स्तरों द्वारा हिस्सेदारी किया जाना चाहिए; इनमें हम सिंचाई, खनन, ऊर्जा, उच्चतर शिक्षा और परिवहन सम्मिलित कर सकते हैं;

iii) इस तरह से क्षेत्रकों अथवा स्कीमों के वर्गीकरण के पीछे यह सिद्धान्त है कि (क) सभी कृषि और संबंधित क्षेत्रों, और (ख) आधारभूत संरचना और सामाजिक सेवा क्षेत्रों के लिए नियोजन को यथासंभव अधिक से अधिक विकेन्द्रीकृत करना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कार्यकलाप या तो अवस्थिति अथवा प्राकृतिक संसाधन से आबद्ध होते हैं अथवा वे सार्वभौमिक आवश्यकता

वाली होती हैं। इन सभी क्षेत्रों में, सफल नियोजन के लिए विस्तृत स्थानीय ज्ञान होना आवश्यक होता है।

दो, किसी भी स्तर पर नियोजन का मुख्य उद्देश्य दी गई अवधि में क्षेत्र में किए जाने हेतु कुल निवेश का निर्धारण और विभिन्न क्षेत्रकों, उप प्रदेशों तथा परियोजनाओं के बीच इसका आबंटन है। इस कृत्य को सम्पादित करने के क्रम में किसी भी स्तर पर नियोजन निकाय को सुदृढ़, विशेषीकृत और सापेक्षिक रूप से स्वायत्त एजेन्सी होना चाहिए जिसमें पूर्णकालिक प्रौद्योगिकीविद्, अर्थशास्त्री और प्रशासकों को रखा जाना चाहिए।

तीन, एक योजना में परियोजनाओं की स्कीमों का सेट आवश्यक रूप से सम्मिलित होता है। अतएव, योजना की गुणवत्ता साधारण रूप से योजना में सम्मिलित एक-एक स्कीमों की गुणवत्ता का परिणाम होता है। चूँकि समीक्षा और मूल्यांकन की आवश्यकता को पहले ही सर्वत्र स्वीकार किया जा चुका है, नियोजन के प्रत्येक स्तर पर परियोजना निर्माण एजेन्सियों को सुदृढ़ करने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल देना जरूरी है। अच्छी परियोजनाएँ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नए आँकड़ों का संग्रह, चिन्तन, डिज़ायन तैयार करना और विश्लेषण की जरूरत होती है। अतएव, इस कार्य को अनिवार्य रूप से विशेषीकृत और पूर्णकालिक कार्य समझना चाहिए।

29.8.3 वित्तीय संसाधनों का अंतरण (न्यागमन)

संतुलित प्रादेशिक विकास की एक अन्य महत्त्वपूर्ण शर्त उन सूत्रों, जिनके अनुसार केन्द्रीय संग्रहित संसाधनों का राज्यों को अंतरण किया जाता है, को सतत् रूप से प्रगतिशील बनाया जाए। राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा प्रयुक्त सूत्रों में उपयोग किए गए मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

— जनसंख्या

— कर संग्रह

— पिछड़ेपन के कुछ सूचकांक

— बृहत् सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं अथवा विशेष सेवाओं के उन्नयन के लिए अपेक्षित परिव्यय।

जनसंख्या घटक पर बल, जिसे विभिन्न सूत्रों में 70 से 90 प्रतिशत तक भार दिया गया है, समझने योग्य है किंतु कर संग्रह प्रयासों और बड़ी परियोजनाओं के समानुपातिक आबंटन के सामान्यतया प्रतिगामी स्वरूप लेने की संभावना होती है। प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले राज्यों में कर संग्रह और परियोजना निर्माण क्षमता स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। इसलिए, वांछनीय यह है कि आबंटन सूत्र से इन मानदंडों को पूरी तरह से हटा दिया जाए। सिर्फ जनसंख्या और पिछड़ेपन के उपयुक्त सूचकांक के समानुपातिक आबंटन ही किए जाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि राज्यों के द्वारा संसाधनों को जुटाने के लिए उठाए गए कदमों पर ध्यान देने की भी आवश्यकता है।

पुनः, यह भी बताने की आवश्यकता है कि राज्यों के अंदर पिछड़े प्रदेशों पर केन्द्र-राज्य अंतरण के समग्र विचार नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, इस तरह का अंतरण अथवा अंतरण की मात्रा उतना परिणामोत्पादक नहीं होती है जितना कि इस अंतरण का उपयोग किस तरह से किया गया। [illegible] यह आवश्यक है कि संसाधन आबंटन की इकाई राज्यों की अपेक्षा जिला होना उचित और सर्वोच्च प्राथमिकता सबसे पिछड़े जिलों को दिया जाना चाहिए। यहाँ निधियों और रियायतों को अत्यंत अल्प मात्रा में सर्वत्र वितरित करने की बजाए औद्योगिक पिछड़ेपन के आधार पर प्राथमिकता वाले निवेश क्षेत्रों को चिन्हित कर संसाधनों के गहन अभिनियोजन पर ध्यान केन्द्रित

करना अधिक उपयोगी हो सकता है। शंकर आचार्य समिति ने प्रोत्साहनों के लिए राज्य में पिछड़े जिलों की पहचान के लिए आठ बिन्दु वाले मानदंड का सुझाव दिया है। सुझाए गए मानदंड निम्नवत् हैं.

— उस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद
— उस क्षेत्र की कुल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा
— उस क्षेत्र में कुल नियोजन की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार का अनुपात
— प्रति व्यक्ति पक्की सड़क
— प्रति 1000 जनसंख्या पर टेलीफोन कनेक्शन
— बैंक शाखाओं की संख्या तथा प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा सेवा प्रदत्त औसत जनसंख्या
— ऋण और जमा, प्रति 1000 जनसंख्या

बोध प्रश्न 3

1) संतुलित प्रादेशिक विकास के कार्यक्रमों से जुड़ी प्रमुख सीमाओं की पहचान कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए आप किस प्रकार की आधारभूत संरचना नीति का सुझाव देंगे?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3) सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यों के अनुकूलतम विभाजन का सुझाव दीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

29.9 सारांश

विशाल भौगोलिक विस्तार वाले देश में संघीय व्यवस्था की सफलता और निरंतरता के लिए सभी प्रदेशों और क्षेत्रों का संतुलित विकास एक आवश्यक शर्त है। संतुलित प्रादेशिक विकास न सिर्फ राष्ट्रीय अखंडता और एकता के संवर्द्धन के लिए आवश्यक शर्त है अपितु पूरे देश में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए भी इसकी आवश्यकता है।

किंतु एक अर्थव्यवस्था में निवेश योग्य संसाधनों की अपनी गत्यात्मकता है। उन क्षेत्रों में समूहीकृत होने की उनकी प्रवृत्ति होती है जिसमें उन्हें तीव्र विकास का सर्वोत्तम अवसर मिलता है। पिछड़ा क्षेत्र अलग-अलग रह जाता है; समृद्ध क्षेत्र सभी प्रकार के संसाधनों; उद्यम क्षमता, पूँजी और कुशल श्रमिक को आकर्षित करता है।

भारत इस सामान्य प्रवृत्ति का कोई अपवाद नहीं रहा है; स्वतंत्रतापूर्व युग में उद्योग का जो थोड़ा-बहुत विकास हुआ वह कुछ महानगर बन्दरगाह शहरों में तथा उसके आस-पास अवस्थित था। आर्थिक नियोजन की शुरुआत में हमारी औद्योगिक संरचना अत्यधिक विषम थी।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की, कि सभी विकास प्रयासों का मुख्य लक्ष्य संतुलित प्रादेशिक विकास का उद्देश्य प्राप्त करना है। किंतु इस इरादे की स्पष्ट घोषणा के बावजूद भी और नियोजन अवधि के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं तब भी संतुलित प्रादेशिक विकास अभी भी एक सपना बना हुआ है।

भावी नीति-निर्माताओं को इस ओर अधिक ध्यान देना होगा।

29.10 शब्दावली

संतुलित विकास : एक स्थिति जिसमें सभी सेक्टर/प्रदेश/क्षेत्र में एक साथ विकास होता है।

क्षेत्रीय विषमताएँ : एक स्थिति जिसमें आर्थिक विकास का स्तर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग-अलग होता है।

अन्तरराज्यीय विषमताएँ : राज्य स्तर पर विकास के स्तर में अन्तर।

अन्त:राज्य विषमताएँ : एक राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्रों/प्रदेशें के बीच विकास के स्तर में अंतर

जिला घरेलू उत्पाद : जिस तरह से राष्ट्रीय उत्पाद पूरे देश और अलग-अलग राज्यों के लिए राज्य उत्पाद का माप है, जिला घरेलू उत्पाद का संबंध वर्ष के दौरान जिले में उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग है।

रियायती ऋण : ब्याज की दर, जो प्रचलित बाज़ार दर से कम है, पर ऋण प्रदान करना।

संसाधन अंतरण : केन्द्र सरकार से राज्य सरकारों को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण किया जाता है; इस उद्देश्य के लिए एक सम्पूर्ण तंत्र की व्यवस्था की गई है।

29.11 कुछ उपयोगी पुस्तकें एवं संदर्भ

आर.ए. चौधरी, इत्यादि (संपा.) (1990). *दि इंडियन इकनॉमी एण्ड इट्स पर्फोर्मेन्स सिन्स इंडीपेंडेन्स*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

के. पुट्टास्वामैया (संपा.) (1994). *इकनॉमिक पॉलिसी एण्ड टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया*, इण्डस, नई दिल्ली।

बारबारा हैरिस (संपा.) (1992). *पॉवर्टी इन इंडिया*, ओ यू पी मुम्बई

आई.सी. धींगरा (2001) *दि इंडियन इकनॉमी, एनवायरन्मेंट एण्ड पॉलिसी*, सुल्तान चंद, नई दिल्ली, अध्याय 22।

29.12 बोध प्रश्नों के उत्तर अथवा संकेत

बोध प्रश्न 1

1) भाग 29.2 देखिए।

2) भाग 29.2 देखिए।

3) भाग 29.3 देखिए।

4) उपभाग 29.3.1 देखिए।

बोध प्रश्न 2

1) उपभाग 29.3.1 देखिए।

2) उपभाग 29.6.1 देखिए।

3) उपभाग 29.6.3 देखिए।

बोध प्रश्न 3

1) भाग 29.7 देखिए।

2) उपभाग 29.8.1 देखिए।

3) उपभाग 29.8.3 देखिए।

NOTES